टी०ए० मिस केस सं0 374/2019-20

(2)

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
23/03/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री डोबरो देवगम, पिता–स्व० सिदिऊ देवगम ग्राम– खप्परसाई, थाना– मुफ्फसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– खप्परसाई थाना नं0 109 के अन्दर खाता न0 71, प्लॉट न0 621 रकवा 0.03 एकड़ भूमि क्रेता श्री साधु चरण बानरा पिता–स्व० मधुसूदन बानरा, निवासी ग्राम–सांगाजाटा थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता एवं अन्य के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक को हिस्से में मिला हुआ भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर भाांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 259, दिनांक 20.03.2020 के द्वारा प्राप्त है। हल बैल खरीदने एवं घर की मरम्मति हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री साधु चरण बानरा पिता–स्व० मधुसूदन बानरा, निवासी ग्राम–सांगाजाटा थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास 54,400/– (चौवन हजार चार सौ रुपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पश्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। विक्रेता के भाई द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में भोश भूमि 3.50 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोशण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता आवेदक श्री डोबरो देवगम, पिता–स्व० सिदिऊ देवगम ग्राम– खप्परसाई, थाना मुफ्फसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– खप्परसाई थाना नं0 109 के अन्दर खाता न0 71, प्लॉट न0 621 रकवा 0.03 एकड़ भूमि को 54,400/– (चौवन हजार चार सौ रुपये) में क्रेता श्री साधु चरण बानरा पिता–स्व० मधुसूदन बानरा, निवासी ग्राम–सांगाजाटा थाना– मुफ्फसिल चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) 23/3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 23/3/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner